पर्चा डिग्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

मु.नं.	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
76/17	09.06.2017	26.03.2018

उनवान

[1] सुलतान
[2] कमलसिंह
[3] रतनसिंह
[4] सुन्दरपाल
[5] सतपाल सिंह पुत्रान भीकमसिंह उर्फ भीखासिंह
[6] मायकौर
[7] ओमसिंह पुत्रान हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी हंसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

—वादीगण

बनाम

[1] रघुबीर सिंह पुत्र लहरीसिंह
[2] रामपाल
[3] महावीर सिंह
[4] तेजसिंह
[5] किशना सिंह पुत्रान मक्खनसिंह जाति राजपूत निवासी हंसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम (अलवर) राज.
[6] संतरा कौर पुत्री मक्खनसिंह पत्नि हरफूलसिंह जाति राजपूत निवासी हंसपुर खुर्द हाल निवासी डाबड़वास तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज.)
[7] सुशीला कौर पुत्री मक्खनसिंह पत्नि सुरेशसिंह जाति राजपूत निवासी हंसपुर खुर्द हाल निवासी पेहल तहसील मुण्डावर (अलवर)
[8] हनुमानसिंह
[9] उदयसिंह
[10] करतारसिंह
[11] बन्नेसिंह
[12] महीपाल पुत्रान पूरणसिंह जाति राजपूत निवासी हंसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम (अलवर)

प्रतिवादीगण—

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

[13] अमरेदवी पुत्री पूरणसिंह पत्नि ... निवासी शम्सपुरखुर्द हाल ... तहसील मुण्डावर

[14] ... पुत्री पूरणसिंह पत्नि ... जाति राजपूत निवासी शम्सपुरखुर्द हाल निवासी ... तहसील मुण्डावर

[15] कमलीबाई पत्नि नागमल सिंह उर्फ नज्जनसिंह

[16] महेन्द्रसिंह

[17] रघोराम

[18] नरेन्द्रसिंह पुत्रान नागमल सिंह उर्फ नज्जनसिंह

[19] प्रेमदेवी पुत्री नागमल सिंह उर्फ नज्जनसिंह पत्नि ... जाति राजपूत निवासी शम्सपुरखुर्द हाल निवासी ... तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज.)

[20] मंजूबाई पुत्री नागमल सिंह उर्फ नज्जनसिंह पत्नि ... जाति राजपूत निवासी शम्सपुरखुर्द हाल निवासी ... तहसील ... जिला अलवर (राज.)

[21] तहसीलदार तहसील कोटकासिम — प्रतिवादीगण

[22] पानाबाई पुत्री ... उर्फ ... पत्नि ... जाति राजपूत निवासी ... जिला अलवर (राज.)

तर. प्रतिवादी

दावा ... स्थायी निषेधाज्ञा ...
अंतर्गत धारा 88 ... राज. काश्त. अधि. 1955

वादीगण का वाद ... डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 186/0-07 बिस्वा वाके ग्राम शम्सपुरखुर्द में वादी सं. 6 व 7 का 1/3 हिस्सा व ख.नं. 196/2-01 बीघा में से 01-17 बीघा ग्राम शम्सपुरखुर्द तहसील कोटकासिम में वादीगण सं. 1 लगा. 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 22 का 1/3 हिस्सा एवं वादी नं. 6 व 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 20 का नाम ... वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.3.2018 को ओपन कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

क्र.स.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
76/17	09-06-2017	26/03/2018

अनुबान

[1] सुरजान

[2] कमलासिंह

[3] रतनसिंह

[4] सुन्दरपाल

[5] सतपालसिंह पुत्रान भीकमसिंह उर्फ भीखासिंह जाति राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम (अलवर) राज0

[5/6] मृतकीन

[6] भीकमसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

— वादीगण

बनाम

[1] रघुवीर सिंह पुत्र लहरीसिंह

[2] रामपाल

[3] महावीरसिंह

[4] तेजासिंह

[5] किशनसिंह पुत्रान मकतुलसिंह जाति राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

[6] संतराबाई पुत्री मकतुलसिंह पत्नि दशरथसिंह जाति राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम हाल निवासी डाबड़वास तहसील बहरोड़

[7] सुशीलाबाई पुत्री मकतुलसिंह पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी हांसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम हाल निवासी पेहल तह0 मुण्डावर

[8] हनुमान सिंह

[9] उदयसिंह

[10] कप्तानसिंह

[11] बद्रीसिंह

[12] महीपाल पुत्रान पुरणसिंह जाति राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

— लगातार —

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

[13] अमोदबाई पुत्री पूरणसिंह पत्नि जगबीरसिंह जाति राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द हाल निवासी लामचपुर तह० मुण्डावर

[14] कृष्णा बाई पुत्री पूरण सिंह पत्नि बचनसिंह जाति राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द हाल निवासी लामचपुर तह० मुण्डावर

[15] कमलीबाई पत्नि जगमालसिंह उर्फ जनकासिंह

[16] महेन्द्रसिंह

[17] रघोराम

[18] नरेशसिंह पुत्रान जगमालसिंह उर्फ जनकासिंह

[19] प्रेमदेवी पुत्री जगमालसिंह उर्फ जनकासिंह पत्नि नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द हाल निवासी रायसराणा तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज०

[20] मंजुबाई पुत्री जगमालसिंह उर्फ जनकासिंह ~~पत्नि~~ परीक्षित सिंह जाति राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द हाल निवासी खेड़ा श्यामपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर (राज०)

[21] तहसीलदार लैण्ड रेकर्ड कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

—असल प्रतिवादीगण

[22] पानाबाई पुत्री भीकमसिंह उर्फ भीखासिंह पत्नि मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी 3-ग-14, मनुमार्ग अलवर (राज०)

—तर० प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक मय कब्जा मुस्तकिल
अं०धा० 88, 89 राज० काश्त० अधि० 1955

उपस्थित :-

[1] श्री नरहरि व्यास अभिभाषक वादीगण

वादीगण ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर दावा पेश कर बहस आरम्भ का पेश किया कि विवादित आराजी स्थित खसरा संख्या 107 किता रकबा 07 बिस्वा जिसके हाल ख० नं० 186 रकबा 07 बिस्वा एवं सावित ख० नं० 113 किता रकबा 04 बिस्वा के ख० नं० 14 किता रकबा 17 बिस्वा जिसके हाल ख० नं० 196/201 बीघा

पम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार

Scanned by CamScanner

पेश हुए। साबिक खसरा नम्बर 107 मिन व 114 मिन बमुताबिक खातेदारान रूड़सिंह, हजूरसिंह, लखमीसिंह ये तीनों सगे भाई थे के हिस्से बराबर यानि 1/3, 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्त सर्वेक्षण रहे और इनकी मृत्यु के पश्चात सर्वेक्षण से इनके वारिसान खातेदार काश्त है। राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 सम्वत 2012 वजूद में आने के वक्त भी इसी नम्बर खातेदार काश्त आराजी मुतदावैया रही। पूर्वी राज काश्तकारी अधिनियम के वजूद में आने से पहले ही तीन भाई रूड़सिंह, हजूरसिंह, लखमीसिंह फौत हो चुके थे। सम्वत 2012 में जब जमाबन्दी साबिक आराजी ख० नं० 114 में [illegible] बतादाद: ओनामसिंह पुत्र रूड़सिंह, हजारीसिंह पुत्र हजूरसिंह 2/3 हि० व मकनूसिंह पुत्र लखमीसिंह 1/3 हिस्सा सही दर्ज किया गया किन्तु खसरा संख्या 107 मिन रकबा 07 बिस्वा में ओनामसिंह अकेले का 2/3 हिस्सा गलत दर्ज किया गया। जबकि ओनामसिंह पुत्र रूड़सिंह 1/3 हि०, हजारी पुत्र हजूर 1/3 हिस्सा व मकनूसिंह पुत्र लखमीसिंह 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। बिन्दुवार सजरा बाद पर संभाग है। विवादित आराजी हाल ख० नं० 186/0-07, 196/2-01 बिस्वा में से 1 बीघा 17 बिस्वा में वादीगण 1 लगा० 5 व तह० प्रतिवादी नं० 22 का 1/3 हिस्सा, वादी नं० 6,7 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण नं० 1 लगा० 20 का 1/3 हिस्सा जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गान से बाजाब्ता वारासता विरासत में प्राप्त हुआ है और इसी नम्बर खातेदार काश्त आरही है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से ख० नं० 186/0-07 बिस्वा में वादी नं० 6 व 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं हो पाया जो इनका राजस्व त्रुटि है तथा हाल ख० नं० 196 में तहत प्रतिवादी नं० 1 लगा० 20 के नाम का अंकन हो गया जो कि विधि विरूद्ध कानून व विधि विरूद्ध होता है। ऐसी सूरत में वादी नं० 1 लगा० 5 व तह० प्रति० नं० 22 आराजी ख० नं० 196/2-01 में से 1 बीघा 17 बिस्वा में 1/3 हिस्से का व वादी नं० 6 व 7, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्त खातेदारान दर्ज किया जाकर हाल ख० नं० 186 में दुरुस्त किया जावे। बन्दोबस्त विभाग आने पर बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रत्येक हिस्से को

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

तब्दील करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः वाद पेशकर निवेदन है कि भारत आगे संख्या को दायर कर मुताबिक वाद इन्द्राज मुकदमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री समयसिंह यादव एडवो. ने वकालतनामा व इकबाल जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण सं. 2 ता. 20 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये उनके खिलाफ दिनांक 14.11.17 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादिया सं. 22 की ओर से इकबाल जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 21 पेशकार सरकार की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया।

बाद में साक्ष्य P.W.1 सुरजमालसिंह, P.W.2 अतरसिंह, P.W.3 रघुवीरसिंह ने शपथ पत्र पेश किये।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई। बहस में विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित भूमि साविक ख.नं. 107 किता रकबा 07 बिस्वा जिसका हाल ख.नं. 186/0.07 बिस्वा एवं साविक ख.नं. 113 किता रकबा 0.04 व ख.नं. 114 किता रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा जिसका हाल ख.नं. 196/2.01 बीघा कायम हुए। साविक ख.नं. 107 व 114 किता बमुताबिक काबिज काश्त रूडासिंह, हाथूसिंह, लखमीसिंह जो तीनों सगे भाई थे को हिस्से बराबर 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त सदैव से है। राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 सम्वत 2012 पन्नू भाग के वक्त भी इसी कदर काबिज काश्त खातेदारी दर्ज किया गया। और उनकी मृत्यु के पश्चात सदैव से उनके वारिसान काबिज काश्त हैं। तीनों भाई को 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदारी है लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से ख.नं. 186/0.07 में वादी सं. 6 व 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं हो पाया जो एक राजस्व त्रुटि है। हाल ख.नं. 196 में तन्हा प्रतिवादी सं. 1 ता. 20 के नाम का अंकन हो गया जो कि खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। इसलिए हाल ख.नं.

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

186/0-07 बिस्वा में वादी सं. 6,7 का 1/3 हिस्सा व ख.नं. 196/2-01 में से 01-17 बिस्वा वाकै ग्राम हंसापुर खुर्द का वादी सं. 1 लगायत 5 को व प्र. प्रतिवादिनी नं. 22 को 1/3 हिस्सा एवं वादी नं. 6 व 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 20 के नाम गलत दुरुस्त इन्द्राज को हटाया किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात व पत्रावली में अंकित साक्ष्य पर गौर किया गया। वादीगण अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजी खातेदारी ख.नं. 107 मिन रकबा 0-07, 113 मिन रकबा 0-04 बिस्वा व 114 मिन 01-17 बिस्वा थे जिनके हाल ख.नं. 186/0-07 व खातेदारी ख.नं. 113 व 114 के हाल ख.नं. 196 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा पैमूद हुए। वादीगण के पूर्वजगण जो तीनों क्रमशः छगनसिंह, रामसिंह, लक्ष्मीसिंह जो सगे भाई थे। खातेदारी ख.नं. 107/0-07, 114 मिन / 1-17 बीघा पर 1/3, 1/3 भाग पर काबिज काश्त थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं. 1 ने भी इकबाल जवाब दावा पेश कर अंकित किया है कि मुताबिक वाद डिक्री कर दिया जावे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण अधिवक्ता के कथन से हम सहमत हूं।

अतः वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख.नं. 186/0-07, वाकै ग्राम हंसापुर खुर्द में वादी सं. 6 व 7 का 1/3 हिस्सा व ख.नं. 196/2-01 बीघा में से 01-17 बीघा ग्राम हंसापुर खुर्द तहसील कोटकासिम में वादीगण सं. 1 लगायत 5 व स्वर्गीय प्रतिवादिनी नं. 22 को 1/3 हिस्सा एवं वादी नं. 6 व 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 20 का नाम हटाया कर वादीगण एवं स्वर्गीय प्रतिवादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner